न्यायालय अतिरि[redacted] कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरिया[redacted] अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2025

प्रविष्टि दिनांकः– 05.02.2025

ग्राम पंचायत पनवाड, पंचायत समिति देवली, जिला टोंक राज. जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी

.....निगरानीकर्ता

बनाम

रामकिशन मीणा पुत्र घीसाराम मीणा, निवासी बासलक्ष्मणा, तहसील देवली जिला टोंक

.....गैर निगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 5, मिसल सं. 5/2004 दिनांक 27.12.2004 ग्राम पंचायत पनवाड़

उपस्थितः (1) श्री शैलेन्द्र गर्ग, अभिभाषक निगरानीकर्ता
(2) श्री मुकेश चौधरी, अभिभाषक गैर निगरानीकर्ता

निर्णय दिनांक 31/10/25

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत पनवाड़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बासलक्ष्मणा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 214 में से 5888.628 वर्गफिट अर्थात 654.22 वर्गगज भूमि का पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा कमांक 05, दिनांक 27.12.2004 को प्राप्त किया, जिसे विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए उक्त पट्टे को निरस्त कराने के लिये निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत की ओर से यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगरानीकर्ता को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से पट्टे संबंधित पत्रावली तलब की गई। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पनवाड़ ने अपने पत्र कमांक एसपी–3 दिनांक 19.09.2025 द्वारा अवगत कराया कि वांछित पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर मूल निगरानी में उभयपक्ष को सुना।

अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित पट्टा आदेश विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मौके की एंव कब्जे की किसी भी प्रकार की कोई जाँच नहीं कर गलत रूप से उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

गैर निगरानीकर्ता रामकिशन मीणा द्वारा ग्राम पंचायत पनवाड़ के समक्ष आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया गया और आवेदन पत्रावली के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये, वह वास्तविकता के विपरित पेश किये गये और उनके आधार पर ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर तत्कालीन सरपंच/सचिव से मिलकर नियमों के विपरित जाकर पट्टा प्राप्त किया गया है।

उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व पट्टाधारी/गैर निगरानीकर्ता ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) की पूर्ण रूपेण पालना नही की है। गैर निगरानीकर्ता ने जिस भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया था, उसका कुल क्षेत्रफल 5888.628 वर्गफिट अर्थात् 654.22 वर्गगज होते हैं जो नियमों के विपरीत है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत केवल 300 वर्गगज तक आवासीय पट्टा जारी किया जा सकता है, जबकि उक्त पट्टा कुल 654.22 वर्गगज का जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है और निरस्तनीय है।

ग्राम पंचायत को केवल मात्र राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत गैर निगरानीकर्ता को कुल 300 वर्गगज का ही पट्टा जारी किया जाना था तथा शेष जगह का पट्टा नई बाजार दर का 25 प्रतिशत शुल्क जमा कर पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है, बावजूद इसके गैर निगरानीकर्ता को कुल 654.22 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है, शेष 354.22 वर्गगज के पट्टे के सम्बन्ध में गैर निगरानीकर्ता को नियमों के तहत 25 प्रतिशत डीएलसी दर के हिसाब से राशि नियमानुसार जमा करवायी जानी थी, जो गैर निगरानीकर्ता द्वारा जमा नहीं करवायी गयी है। इस कारण उक्त पट्टा निरस्तनीय है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त करने से पूर्व मौके पर आवंटी/पट्टाधारी का 300 वर्गगज संनिर्मित भूखण्ड पर कब्जा होना एंव संनिर्मित किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है, लेकिन गैर निगरानीकर्ता के पट्टेशुदा भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 5888.628 वर्गफिट अर्थात 654.22 वर्गगज है, उक्त तथ्य स्वयं गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रावली से भी साबित थे, उसके उपरांत भी गैर निगरानीकर्ता द्वारा तत्कालीन सरपंच/सचिव से मिलकर गलत तथ्य ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर पट्टा प्राप्त किया गया है। बावजूद इसके तत्कालीन सरपंच/सचिव द्वारा उक्त पट्टा गैर निगरानीकर्ता के हक मे जारी करने से पूर्व मौके पर जाकर विधिवत् जाँच नहीं की है और गैर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर पट्टा प्राप्त किया गया है, जो निरस्तनीय है।

गैर निगरानीकर्ता के हक में गलत रूप से जारी किये गये पट्टे की जानकारी जब गैर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर तारबंदी किये जाने व उसकी शिकायत ग्राम पंचायत को प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत द्वारा मौके की एवं दस्तावेजात की जाँच करने पर हुई, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता को तारबंदी हटाने तथा मूल पट्टा मय दस्तावेजात सहित ग्राम पंचायत के समक्ष पेश करने हेतु पत्राचार किये जाने के उपरांत भी गैर निगरानीकर्ता ने मूल पट्टा ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं किया गया, उसके उपरांत निगरानीकर्ता ने उक्त पट्टे को निरस्त कराने हेतु सक्षम उच्चाधिकारीयों को भी पत्राचार कर अनुमति प्राप्त की और राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति होने पर बिना किसी देरी के उक्त निगरानी पट्टा निरस्ती के सम्बन्ध मे पेश की है। निगरानी पेश करने मे जानबूझकर कोई देरी नहीं की हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीग

अतः निगरानी पेश कर निवेदन हैं कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पनवाड़ द्वारा गैर निगरानीकर्ता के हक में जारी किया गया पट्टा कमांक 5, मिसल सं. 05/2004 दिनांक 27.12.2004 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अभिभाषक गैर निगरानीकर्ता ने निगरानीकर्ता की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता के हक में जारी पट्टा विधिसम्मत हैं। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा समस्त नियमों की पालना की गई है। उक्त भूमि गैर निगरानीकर्ता की स्वयं की भूमि है जिस पर केवल गैर निगरानीकर्ता का ही कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत रूप में लिखित रूप में आपत्तियां मांगी गयी थी परन्तु अन्दर मियाद किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति पेश नहीं की थी। साथ ही पट्टा जारी किए जाने से पूर्व मौके का निरीक्षण भी किया गया था। इस प्रकार उक्त पट्टा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही की जाकर जारी किया गया था। गैर निगरानीकर्ता को जारी पट्टा विधिविधान एवं तथ्यों के अनुकूल है एवं राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना में ही उक्त पट्टा जारी किया गया है।

गैर निगरानीकर्ता से जो राशि तत्समय ग्राम पंचायत द्वारा जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था, उस राशि का भुगतान नियमानुसार ग्राम पंचायत को करा दिया गया था और उसके बाद ही उक्त पट्टा जारी किया गया था, यदि फिर भी आगे कोई राशि अधिरोपित की जाती है तो वह राशि गैर निगरानीकर्ता जमा कराने को तैयार है। उक्त पट्टेशुदा भूमि पर गैर निगरानीकर्ता व उसके परिवारजनों का 60 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में भी उक्त पट्टेशुदा भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जाकर गैर निगरानीकर्ता को जारी पट्टा यथावत रखा जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता हैं कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत पनवाड़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बासलक्ष्मणा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 214 में से 5888.628 वर्गफिट अर्थात 654.22 वर्गगज भूमि का पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा कमांक 05, दिनांक 27.12.2004 को प्राप्त किया, जिसे विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए उक्त पट्टे को निरस्त कराने के लिये निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत की ओर से यह निगरानी पेश की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि गैर निगरानीकर्ता ने जिस भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया था, उसका कुल क्षेत्रफल 5888.628 वर्गफिट अर्थात् 654.22 वर्गगज होते हैं जो नियमों के विपरीत है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत केवल 300 वर्गगज तक आवासीय पट्टा जारी किया जा सकता है, जबकि उक्त पट्टा कुल 654.22 वर्गगज का जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है और निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत को केवल मात्र राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत गैर निगरानीकर्ता को कुल 300 वर्गगज का ही पट्टा जारी किया जाना था तथा शेष जगह का पट्टा नई बाजार दर का 25 प्रतिशत शुल्क जमा कर पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है, बावजूद इसके गैर निगरानीकर्ता को कुल 654.22 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है, शेष 354.22 वर्गगज के पट्टे के सम्बन्ध में गैर निगरानीकर्ता को नियमों के तहत 25 प्रतिशत डीएलसी दर के हिसाब से राशि नियमानुसार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

जमा करवायी जानी थी, जो गैर निगरानीकर्ता द्वारा जमा नहीं करवायी गयी है। इस कारण उक्त पट्टा निरस्तनीय है।

पत्रावली में संलग्न विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली के पत्र क्रमांक 2248 दिनांक 30.07.2024 से ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पनवाड़ को गैर निगरानीकर्ता को जारी पट्टा संख्या 05 दिनांक 27.12.2004 को निरस्त करवाने की कार्यवाही हेतु निर्देशित भी किया जा चुका है जिसमें निरस्तीकरण का कारण अंकित हैं गैर निगरानीकर्ता को 654.22 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया है जबकि पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत अधिकतम 300 वर्गगज तक आवासीय पट्टा जारी किया जा सकता है जबकि बाकी जगह का पट्टा नयी बाजार दर (डीएलसी) का 25 प्रतिशत शुल्क जमा कर जारी किया जा सकता है। इस कारण भी उक्त पट्टा निरस्तनीय है।

ग्राम विकास अधिकारी से पट्टा पत्रावली चाहे जाने पर ग्राम विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि उक्त पत्रावली एवं रिकॉर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। पट्टा पत्रावली का कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना पट्टे की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। पट्टा पत्रावली का उपलब्ध नही होना स्पष्ट करता है कि उक्त पट्टा जारी करने में कोई विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत पनवाड़ पंचायत समिति देवली जिला टोंक ने गैर निगरानीकर्ता रामकिशन मीणा पुत्र घीसाराम मीणा, निवासी बासलक्ष्मणा, तहसील देवली जिला टोंक के हक में बिना तथ्यों की जांच किए एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना उक्त पट्टा संख्या 05/2004 दिनांक 27.12.2004 को जारी किया था जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकर्ता रामकिशन मीणा पुत्र घीसाराम मीणा, निवासी बासलक्ष्मणा, तहसील देवली जिला टोंक को ग्राम बासलक्ष्मणा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 214 में से 5888.628 वर्गफिट अर्थात 654.22 वर्गगज भूमि का जारी किया गया पट्टा क्रमांक 05, दिनांक 27.12.2004 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
अति0 जिला कलेक्टर
टोंक